

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the 4th April, 2016

G.S.R. (E) - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 398 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, namely:-

1. Short title and Commencement:- (1) These rules may be called the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, in rule 3, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that the companies in banking, insurance, power sector, non-banking financial companies and housing finance companies need not file financial statements under this rule.”.

[F. No. 1/19/2013-CL-V]

Amardeep Singh Bhatia

04/04/2016

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary

Note.- The principal rules were notified vide notification number GSR 692(E) dated 09.09.2015.

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. (अ). - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 के नियम 3 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् -

“परंतु यह कि बैंककारी, बीमा, विद्युत क्षेत्र, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए इस नियम के अधीन वित्तीय विवरण फाइल करना अनिवार्य नहीं है।”।

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल.V]

अमरदीप
04/04/16
o/c (अमरदीप सिंह भाटिया)
संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 09.09.2015 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।